तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
14/3/18	[illegible] पक्षकारान उपस्थित है। पत्रावली मय [illegible] के [illegible] दिनांक [illegible] को पेश हो। 2/5/18 उपखण्ड अधिकारी टोंक [illegible]
2/06/18	वकील प्रार्थी/अप्रार्थी उप०/अनु०पत्रावली राजस्व लोक अदालत ग्रा०पं० डारडाहिन्द में दिनांक 11/6/18 को पेश हो उपखण्ड अधिकारी,टोंक
11/06/18	पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार –2018 के तहत ग्राम पंचायत शिविर मे पेश हुई। प्रार्थनापत्र के अनुसार प्रतिपक्षीगण राजस्व रिकार्ड मे अंकन के आधार पर विवादित भूमि ख.न. 132, 133 ग्राम डारडाहिन्द, को हस्तान्तरण करने पर आमादा है जिन्हे पाबन्द किया जावे। हमने पत्रावली व उसके संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया। हक अधिकार एवं तथाकथित अवैध आवंटन के तथ्य का निर्णय, साक्ष्य दसतवेज के आधार पर वाद निर्णय के समय किया जावेगा। पृथम दृष्टया विवादित भूमि के, जमाबंदी संवत 2071–74 के अनुसार प्रतिपक्षीगण रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। इस प्रकार पृथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष मे नही है। प्रार्थीगण का उक्त भूमि से कोई संबंध प्रतीत नही होता है। चूंकि प्रतिपक्षीगण रिकार्डेड खातेदार है इस कारण प्रतिपक्षीगण को किसी भी निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जा सकता है यदि रिकार्डेड खातेदार को उनकी खातेदारी की भूमि के उपयोग उपभोग के संबधं मे किसी भी प्रकार से पाबन्द किया गया तो क्षति भी प्रतिपक्षीगण को होने की संभावना है ना कि प्रार्थीगण को, इस प्रकार अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष मे नही है। अतः प्रार्थनापत्र के तीनो बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष मे नही होने के कारण प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर मूल वाद मे शामिल हो। (पिंकी मीणा) उपखण्ड अधिकारी, टोंक उपखण्ड अधिकारी टोंक (राज०)

Scanned by CamScanner